-1-

181

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../......................... A-5 86- I-12

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री भंगीलाल प्रधान उम्र 61 वर्ष पिता श्री फगनू प्रधान
निवासी-म.नं.2 वार्ड नं.9, सनकुही, पोस्ट खुक्खम,
तहसील कुण्डम जिला जबलपुर

विरूद्ध -

अनावेदक -
1. श्री रामजी श्रीपाल उम्र 46 वर्ष पिता श्री सुंदरलाल श्रीपाल (गैर आदिवासी)
निवासी-ग्राम हिनौतिया (पिंडरई) तह. व जिला जबलपुर
2. श्री आनंद कुमार यादव उम्र 40 वर्ष पिता श्री दालचंद यादव (गैर आदिवासी)
निवासी-ग्राम हिनौतिया तह. व जिला जबलपुर
3. श्री विनोद कुमार साहू उम्र 42 वर्ष पिता श्री गेंदलाल साहू (गैर आदिवासी)
निवासी-ग्राम परतला, तह. व जिला जबलपुर
4. श्री कोमलवन गोस्वामी उम्र 45 वर्ष पिता श्री सरजूवन गोस्वामी (गैर आदिवासी)
निवासी-ग्राम कल्याणपुर, तह. कुण्डम, जिला जबलपुर
5. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P. Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

अपील अंतर्गत धारा35(4)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के **प्रकरण क्र. 95/अ-21/2016-17** में पारित आदेश दि. 06/02/2017 (Annexure.1) से व्यथित होकर म.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 588-एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-17	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 95/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 6-2-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 6-2-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 89/1 रकबा 2.77 हैक्टर एवं खसरा नंबर 89/2 रकबा 1.60 हैक्टर	

अपी. 588-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को गैर आदिम जनजाति सदस्य/प्रत्यर्थी क्रं. 1 लगायत 4 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई हैं । उक्त भूमियां शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 8.10 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी क्रेतागण उसे वर्तमान गाइड लाइन से अधिक मूल्य देने को तैयार हैं । अंतरण में आवेदक के साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है और ना ही आवेदित भूमि के विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 6-2-17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम डोली प.ह.नं.22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 588-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नंबर 89/1 रकबा 2.77 हैक्टर एवं खसरा नंबर 89/2 रकबा 1.60 हैक्टर गैर आदिम जनजाति सदस्यों/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 4 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	